

8-7-19

पत्रावली पेश हुई। वकील गदी उपस्थित नहीं।
वकील आर्षी को अबाजे लगाई गयी। टाजिर
नहीं है। स्वयं आर्षीगण को अबाजे लगाई
गई टाजिर नहीं है। लिहाजा आर्षीना पत्र
आर्षी वकील आर्षी की मदम टाजरी मदम परबी
में खरिज किया जाता है। न्यायालय द्वारा जारी
अन्वय निवेद्याना दिनांक 8.7.15 को निरस्त
किया जाता है। पत्रावली कौमले से शुमार टोकट
द्वारा बाद संलग्न रहे।

दिनांक 8.7.19

दिनांक 8.7.19

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर